मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 4-5/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश।

विषय:- विदेश यात्रा के दौरान शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ते की पात्रता के संबंध में।

--◆--

भारत के बाहर शासकीय कार्य से दौरे के दौरान शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 133 से 135 में प्रावधानित है। पूरक नियम 134 में विदेश यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन हेतु माइलेज दिये जाने एवं पूरक नियम 135 में विदेश यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था से संबंधित नियम है।

2/ यह तथ्य ध्यान में आया है कि इन पूरक नियमों के निर्वचन के संबंध में कठिनाई है। अत: इस संबंध में विदेश यात्रा के दौरान स्थानीय यात्रा एवं होटल में ठहरने की व्यवस्था के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं :-

1. विदेश यात्रा के दौरान संबंधित अधिकारी को होटल के एकल कमरे के किराये की पात्रता होगी। किसी भी स्थिति में डबलबेड के कमरे की पात्रता नहीं रहेगी।
2. विदेश यात्रा के दौरान एयरपोर्ट से होटल एवं होटल से एयरपोर्ट जाने हेतु किराये पर ली गई टैक्सी की वास्तविक राशि का भुगतान देय होगा। किसी भी परिस्थिति में हाल्ट चार्जेस का भुगतान देय नहीं होगा।
3. संपूर्ण दिवस के लिये टैक्सी किराये पर लेने की पात्रता उसी स्थिति में होगी जब विदेश यात्रा स्वीकृति आदेश में इस संबंध में स्पष्ट सहमति वित्त विभाग व्दारा दी गई हो एवं इसका उल्लेख स्वीकृति आदेश में हो।
4. होटल से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से वापस होटल के लिये टैक्सी चार्जेस का भुगतान प्रतिमाह रुपये 10000/- ग्रेड वेतन पाने वाले अधिकारी एवं इससे अधिक ग्रेडवेतन पाने वाले अधिकारियों को ही देय होगा। प्रतिमाह रुपये 10000/- ग्रेड वेतन से कम ग्रेडवेतन पाने वाले अधिकारियों को लोक परिवहन साधनों से यात्रा करना होगी। किसी भी स्थिति में टैक्सी के हाल्ट चार्जेस का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास के व्दारा अधिकृत होटल्स की तालिका में अनुमोदित होटल में ही निवास किया जाना आवश्यक होगा। यदि अधिकृत होटलों

SUNITA/Biparia/2014
8/1/2014

की श्रेणियां पृथक-पृथक हैं, तो प्रतिमाह रुपये 10000/- ग्रेड वेतन एवं इससे अधिक ग्रेडवेतन पाने वाले अधिकारियों को ही उच्च श्रेणी के होटल में रहने की पात्रता होगी तथा शेष अधिकारियों को न्यूनतम श्रेणी के होटल में ठहरने की पात्रता रहेगी। होटल में single occupancy के आधार पर ही ठहरने की पात्रता होगी।

6. विदेश यात्रा के दौरान ठहरने के स्थान पर यदि भारतीय दूतावास के ब्दारा होटल्स का अनुमोदन नहीं किया गया है, तो ऐसे स्थानों पर संबंधित देश की राजधानी में भारतीय दूतावास के ब्दारा निर्धारित की गई न्यूनतम दर के बराबर या उससे कम दर के होटल के एकल कमरे में ठहरने की पात्रता होगी।

7. सामान्य रुप से कोई भी विदेश यात्रा तीन दिवस से अधिक अवधि की नहीं होना चाहिये, यदि भ्रमण में एक से अधिक शहर शामिल नहीं है। कांफ्रेंस/ सेमीनार की अवधि 3 दिवस से अधिक होने की स्थिति में यात्रा अवधि तीन दिवस से अधिक हो सकेगी ।

8. विदेश यात्रा के दौरान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वायुयान की श्रेणी की पात्रता रहेगी। राज्य शासन के अधिकारियों के लिये वायुयान की इकानामिक श्रेणी में यात्रा की पात्रता होगी।

9. विदेश यात्रा के दौरान लिये जाने वाले अवकाश अवधि में ठहरने, दैनिक भत्ते एवं स्थानीय परिवहन की पात्रता नहीं होगी।

उपरोक्त निर्देशों का पालन विदेश यात्रा के दौरान यात्रा भत्ते की पात्रता निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA/Pripatra/2014
8/1/2014

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-5/2013/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/2014
http://www.Finance.mp.gov.in